

“युवा उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विधावार नियम”

विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रतियोगिता में किसी जाति, भाषा, धर्म एवं सम्प्रदाय पर आक्षेप नहीं किया जायेगा।

1. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत – एकल गायन

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।
- संगत कलाकार अधिकतम दो।
- इस विधा में फिल्मों के गीत नहीं गाए जा सकेंगे।
- स्वर, ताल, राग का चयन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
- गायन के लिए समय 15 मिनट है।

2. शास्त्रीय वाद्य प्रतियोगिता – एकल वादन

(थाप अर्थात् परकुसन ताल वाद्य)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।
- संगत कलाकार अधिकतम दो।
- प्रतियोगी कलाकार अपने वाद्य यंत्र स्वयं लेकर आयेंगे।
- ताल, कम्पोजीशन और सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जावेगा।
- वादन के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है।

3. शास्त्रीय वाद्य प्रतियोगिता – एकल वादन

(गैर थाप अर्थात् नान परकुसन ताल वाद्य)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।
- संगत कलाकार अधिकतम दो।
- प्रतियोगियों को अपने वाद्ययंत्र स्वयं लाने होंगे।
- पाश्चात्य मूल के वाद्य यंत्रों पर भारतीय रागों का वादन मान्य होगा।
- वादन के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है।
- स्वर ताल राग के चयन, कम्पोजीशन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

4. एकल गायन (सुगम)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।
- संगत कलाकार केवल दो।

- गायन की समयावधि 3 से 5 मिनट होगी।
- केवल गीत/भजन/शब्द/अभंग एवं गैर फिल्मी गायन।
- स्वर, ताल, कम्पोजीशन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

5. एकल गायन (पश्चात्त्य)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।
- संगत कलाकार केवल दो।
- गायन की समयावधि 3 से 5 मिनट होगी।
- अंग्रेजी भाषा का ही गायन मान्य होगा।
- कम्पोजीशन, लय संयोजन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

6. समूह गायन – भारतीय

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक दल ही भाग ले सकेगा।
- प्रत्येक दल दो समूह गायन प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें एक देशभक्ति से संबंधित एवं दूसरा लोकगीत होना चाहिए।
- गायकों की संख्या अधिकतम 6 रहेगी एवं संगत वाद्य कलाकार अधिकतम तीन होंगे।
- किसी भी क्षेत्रीय भाषा/बोली के भारतीय गीत प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- फिल्मी समूह गान अमान्य है।
- समूह गायन की समयावधि अधिकतम दस मिनट रहेगी।
- मंच तैयारी हेतु प्रत्येक दल को अधिकतम चार मिनट मिलेंगे।
- निर्णय का मुख्य आधार गायन की गुणवत्ता पर रहेगा न कि वेशभूषा, रूप सौंदर्य और भाव भंगिमा।

7. समूह गायन (पश्चात्त्य)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- एक दल के गायकों की अधिकतम संख्या 8 होगी और संगत वाद्य कलाकार अधिकतम 3 होंगे।
- केवल अंग्रेजी भाषा के समूह गीत प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- समूह गायन की अधिकतम अवधि दस मिनट रहेगी। मंच तैयारी के लिए अलग से अधिकतम चार मिनट दिये जाएंगे।
- निर्णय का मुख्य आधार गायन की गुणवत्ता पर रहेगा न कि वेशभूषा, रूप सौंदर्य और भाव भंगिमा।

8. लोक/समूह नृत्य

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक दल में अधिकतम 8 प्रतियोगी रहेंगे। दल के सदस्य चाहें तो केवल पुरुष या युवतियाँ अथवा दोनों ही रह सकते हैं।
- संगत कलाकार अधिकतम तीन रहेंगे।
- केवल आदिम नृत्य अथवा लोकनृत्य (भारतीय शैली) ही मान्य होंगे न की शास्त्रीय नृत्य।
- नृत्य की अधिकतम समयावधि दस मिनट की रहेगी।
- पंजीयन के समय प्रवेश-पत्र के साथ ही नृत्य की संक्षिप्त जानकारी एवं कथा तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगी।
- प्रस्तुती के समापन के पश्चात् अपनी नृत्य सामग्री मन्द से हटाने की जिम्मेदारी प्रत्येक दल की होगी।
- निर्णय के आधार होंगे – लय, संयोजन, भाव, भंगिमा, रूप सौंदर्य, वेशभूषा एवं समग्र प्रभाव।

9. एकल नृत्य (शास्त्रीय)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक ही प्रविष्टि मान्य होगी।
- विभिन्न विधाओं के शास्त्रीय नृत्य जैसे – कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचीपुडी एवं ओडिसी आदि ही मान्य होंगे।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम 15 मिनट की समयावधि मिलेगी। तैयारी के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा।
- अधिकतम तीन संगत कलाकार मान्य होंगे।
- ताल, तकनीक, लय, अभिनय या भावमुद्रा, वेशभूषा, पद संचालन एवं समग्र प्रभाव के आधार पर निर्णय होगा।
- पंजीयन के समय नृत्य के महत्व एवं कथा का संक्षिप्त वर्णन तथा गाये जाने वाले गीत को लिखित रूप से तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

10. प्रश्नमंच

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय 3 सदस्यों का एक दल भेज सकता है।
- प्रारम्भिक चक्र लिखित होगा तथा इसी आधार पर चयन किया जावेगा।
- अंतिम प्रतियोगिता मौखिक आधार पर, जिसमें दृश्य-श्रव्य आधार पर प्रश्न होंगे, आयोजित होगी।
- मूल्यांकन पद्धति, समय एवं चक्रों की संख्या आदि की जानकारी प्रतियोगिता प्रारंभ होने के समय दी जावेगी।

प्रश्न मंच के मूल्यांकन की पद्धति क्विज, मास्टर अपने दिवके से तय कर सकेंगे।

11 वाद विवाद

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- एक दल में दो सदस्य होंगे एक पक्ष तथा दूसरा विपक्ष के लिए रहेगा।
- विचार हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में व्यक्त किये जा सकेंगे।
- वाद विवाद का विषय 24 घण्टे पूर्व घोषित किया जावेगा।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम पाँच मिनट का समय दिया जावेगा।

12. वक्तृता

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी रहेगा।
- हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में विचार प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम पाँच मिनट का समय दिया जावेगा।

13. एकांकी

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रविष्टि ही मान्य होगी।
- नाटक की समयावधि 30 मिनट की होगी।
- संकेत मिलने पर दल प्रस्तुति प्रारम्भ करेगा। उसी समय से अवधि की गणना होगी।
- मंच सज्जा एवं सामग्री संयोजन के लिए 10 मिनट दिये जावेंगे। नाटक के अंत में मंच सामग्री हटाने के लिए पृथम से समय नहीं दिया जावेगा। आगामी प्रस्तुति के लिए मंच उपलब्ध कराने का दायित्व पूर्ववर्ती दल का रहेगा।
- नाटक दल में अधिकतम 8 सदस्य रहेंगे।
- प्रत्येक दल को अपनी मंच एवं वेषभूषा— रूपसज्जा सामग्री स्वयं लानी होगी।
- पूर्व सूचना देने पर प्रकाश एवं साधारण फर्निचर आदि उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- नाटक का मंचन हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रिय भाषा में किया जा सकेगा।
- क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुति देने वाले दल को नाटक की विषय वस्तु हिन्दी/अंग्रेजी में पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगी।
- प्रतियोगी दलों को अपनी उपस्थिति की जानकारी प्रतियोगिता प्रमारी की मंचन के दो घंटे पूर्व अवश्य देना होगी।
- नाटक की गुणवत्ता जैसे की कथावस्तु, अभिनय कला, मंच सज्जा एवं संज्जा एवं समग्र प्रभाव के आधार पर निर्धारित होगी।
- निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

14. रिकट

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक दल सम्मिलित हो सकेगा।
- अधिकतम प्रतियोगी 5 रहेंगे।
- प्रस्तुति की समयावधि 10 मिनट रहेगी।
- रूप सज्जा, वेशभूषा एवं पार्श्वसंगीत मान्य है।
- स्क्रिप्ट की कथावस्तु को तीन प्रतियों में पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- निर्णय का आधार, कथावस्तु, अभिनय, मंच सज्जा, रचना एवं समग्र प्रभाव रहेगा।

15. कोलॉज

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- विषय की घोषणा प्रतियोगिता स्थल पर रहेगी।
- प्रतियोगिता की अवधि अधिकतम ढाई घण्टे रहेगी।
- प्रतियोगिता को पेस्टिंग सामग्री एवं अन्य उपकरण स्वयं लाने होंगे।

16. पोस्टर निर्माण

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- दृश्य की घोषणा प्रतियोगिता स्थल पर ही की जावेगी। प्रतियोगी को प्रतियोगिता प्रभारी द्वारा प्रदत्त विषय पर पोस्टर निर्माण करना होगा।
- प्रतियोगिता की अवधि ढाई घण्टे अधिकतम रहेगी।
- प्रतियोगी को पेपर/शीट आयोजक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा दिया जावेगा। शेष सामग्री उसे स्वयं लानी होगी।

17. क्ले माडलिंग

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।
- विषय की घोषणा प्रतियोगिता स्थल पर ही की जावेगी।
- मिट्टी क्ले (clay) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।
- प्रतियोगिता की अवधि ढाई घण्टे अधिकतम रहेगी।

18. कार्टूनिंग (व्यंग्य चित्र)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।
- कृति का निर्माण दिये गये विषय या कल्पना के आधार पर ही करना होगा। विषय या कल्पना प्रतियोगिता स्थल पर घोषित किया जावेगा।
- प्रतियोगिता की अवधि अधिकतम एक घंटा रहेगी।

19. रंगोली

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय से मात्र एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।
- प्रतियोगिता की अवधि ढाई घण्टे अधिकतम रहेगी।
- प्रतियोगिता की समस्त सामग्री को स्वयं लानी होगी। इस कला को विविध क्षेत्रों में विविध नामों से जाना जाता है जैसे – अल्पना, मांडना, आलेखन, कोनम, रंगोली, आदि। इसलिये प्रतियोगी माध्यम और आकार के लिए स्वंत्र है। वर्णनात्मक, चित्रात्मक अथवा मुक्त चित्रण किया जा सकेगा।

20. स्थल चित्रण (आन द स्पार्ट पेंटिंग)

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- दृश्य विशेष की सूचना प्रतियोगिता स्थल पर ही की जावेगी।
- प्रतियोगी को प्रतियोगिता प्रभारी के द्वारा प्रदत्त विषय पर ही चित्रांकन करना होगा।
- प्रतियोगिता की अवधि ढाई घंटे (2:30 घंटे) ही होगी।
- चित्र का आकार 22x15 इंच रहेगा।
- चित्रांकन हेतु माध्यम आइल, वाटर या पोस्टर कलर रहेगा।
- चित्रांकन हेतु सामग्री यथा ब्रुश, रंग आदि प्रतियोगी को स्वयं लाने होंगे कागज/शीट आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।

21. मुकाभिनय

- प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- कलाकारों की अधिकतम संख्या 05 रहेगी।
- अधिकतम समयावधि 5 मिनट रहेगी।
- निर्णय का आधार, विचार, प्रस्तुति की रचनात्मकता, संगीत एवं रूप सामग्री तथा समग्र प्रभाव रहेगा।

22. मिमिकी

- प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।
- प्रतियोगिता की अवधि पाँच मिनट रहेगी।
- फूहड़ या अश्लील प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
- जाति, धर्म, संप्रदाय पर आक्षेप नहीं होगा।

निर्णय एवं वाद

- प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे विविध प्रतियोगिताओं के नियमादि ध्यानपूर्वक पढ़ें जो इस पुस्तिका में दिये गये हैं। विविध प्रतियोगिताओं के लिए नियुक्त निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा। निर्णायकों के निर्णय का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। समाधानकारक निर्णय न होने की स्थिति में सम्बन्धित विषय को प्रतिवाद समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की असहमति को प्रतियोगिता समन्वयक के पास प्रतियोगिता समाप्त होने के एक घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा इसके उपरांत निर्णय सम्बन्धी किसी असहमति पर विचार नहीं होगा। नियमों के उल्लंघन अथवा अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन को लेकर असहमतियों वाद के रूप में स्वीकार की जा सकेगी। असहमति शुल्क रू० 200/- जमा करने होंगे जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। प्रतिवाद समिति के विरुद्ध कोई असहमति स्वीकार नहीं होगी।